

## jktLo vřjky , oa jkt dks'kh; i d'st dk fu/kkj .k

### 13.1.0 प्रस्तावना :

13.1.1 **jkt; foRr vk; ksx** अपनी यात्रा की लगभग समाप्ति पर है। इस अवस्था तक पहुँचने में उसे लम्बा रास्ता तय करना पड़ा, जिसकी प्रत्येक सीढ़ी ने राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** के लिये राजकोषीय पैकेज के निर्धारण के लिये आधार शिलार्ये एवं साधन उपलब्ध कराए। अब हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण (कठिन निर्णायक) अवस्था में पहुँच गये हैं, जहाँ हमें राज्य के **u-LFkk-fudk; ka ds jktLo vřjky dk vkdkj , oa ml dh idfr** ज्ञात करनी है। **jktLo vřjky ds vkdyu l jkt; ljdkj l s LFkkuh; fudk; ka dks jkf'k; ka ds vřj.k ds fy; s jkt dks'kh; i d'st r\$ kj djus dh n"V l s fu.kkz d Hkfedk gksxA gea d'oy or'eku okLrfod jktLo vřjky dk gh vkdyu ugha djuk g\$ oju-l Hkfor jktLo vřjky dk Hkh djuk g\$** क्योंकि **jk-fo-vk-** से अपेक्षा की गई है, कि वह स्थानीय निकायों के भविष्य की आवश्यकताओं एवं उनके भविष्य के संभावित साधनों को ध्यान में रखते हुये साधनों के अंतरण की अनुशंसायें करेगा।

13.1.2 **l fo/kku l dks'ku ea dsfo-vk- l s vi\$kk dh xbl g\$ fd og d'bnz l s jkt; ka dks l k/kuka ds , l s vřj.kka dh vuqka k djxk tk\$ jkfo-vk- dh vuqka k vuq kj LFkkuh; fudk; ka ds l k/kuka dks l i'ijr djxk** इस संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिये रा.वि.आ. के पास न.स्था.निकायों के लिये राजकोषीय पैकेज के आकार को निर्धारित करने के लिये कुछ आधार होना आवश्यक है। विभिन्न रा.वि. आयोगों द्वारा अपने-अपने राज्यों के लिये आकलित राजस्व अंतराल के.वि.आ. को यह आधार उपलब्ध करा सकते हैं। अभी तक देश के कम ही रा.वि.आयोगों ने ऐसे राजस्व अंतरालों का आकलन किया है, जो राज्य से स्थानीय निकायों को अंतरण

संबंधी अनुशांसा के पैकेज तैयार करने तथा के.वि.आ. को अपने संवैधानिक दायित्व के वहन करने में सहायक हो सके। *jktLo vrjky* के आकलन के अभाव में *XIOa , oa XIIoa fo-vk-* ने स्थानीय निकायों के साधनों के संपूरण हेतु केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरणों की अनुशांसायें अधिकांशतः तदर्थ आधार पर की हैं। इस संबंध में हम *XIIoa fo-vk-* के विचार को उद्धृत करना चाहेंगे। *^jkt; foRr vk; kska ds ifronuka dh xgu tlp* स्पष्ट करती है, कि बहुत कम राज्य वित्त आयोगों ने यह क्रिया अपनायी है। इस कारण उनके प्रतिवेदनों को हमारी अनुशांसाओं का आधार बनाना संभवन नहीं हो सका है। हम जोर देकर अनुशांसा करते हैं, कि भविष्य में सभी राज्य वित्त आयोगों, पहले से नियुक्त ऐसे आयोगों को भी शामिल करते हुये, जिन्हें अभी अपनी अनुशांसायें प्रस्तुत करनी हैं, उपर्युक्त प्रक्रिया अपनायें जिससे केन्द्रीय वित्त आयोग अपने *l dskfud vf/knsk ds l kfk ijk U; k; dj l dA^* (पृष्ठ-150) के.वि.आ. एवं रा.वि.आ., दोनों को अपने संवैधानिक दायित्वों के निष्पादन को सुगम बनाने में स्थानीय निकायों के राजस्व अंतराल के आकलन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता।

### 13.2.0 राजस्व अंतराल क्या है ?

13.2.1 *jktLo vrjky uLFkk-fudk; ka ds Lo; a ds jktLo %dj jktLo\$xs&dj jktLo% ,oa muds jktLo 0; ; dk vrj gkrk gA* जब उनके राजस्व व्यय के अधिकांश भाग का वित्त पोषण *u-LFkk-fudk; ka* के स्वयं के साधनों से होता है, तब राजस्व अंतराल कम हो जाता है।

13.2.2 *fdl h u-LFkk-fudk; dk jktLo 0; ;] dj ,oa xs&dj l kr l sml dk Lo; a dk jktLo rFkk jkT; ,oa dhnz l jdkj l s jktLo y[ks ds dy gLrkj. ka ds ; ks ds cjkcj gkrk gA vr, o jktLo vUvjky] u-LFkk-fudk; ds Lo; a dh jktLo ikflr; ka ij jktLo 0; ; ds vkf/kD; ds cjkcj gkrk gA* अन्य शब्दों में यह राज्य एवं केन्द्र सरकार से स्थानीय निकायों को राजस्व लेखे के कुल हस्तांतरणों के बराबर होता है। पिछले अध्याय में हम लिख ही चुके हैं, कि राजस्व

अंतराल के बढ़ने तथा बाहरी स्रोत से उसके वित्त पोषण की वृद्धि से स्थानीय निकायों की आत्म-निर्भरता में कमी आती है। चूँकि हमारा कार्य राज्य के न.स्था. निकायों की भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना भी है, अतः हमें **I Hkkfor jktLo vrjky** भी आकलित करना होगा, जिससे आशय होता है, **Hkfo"; ea %tks gekjs I nHkZ ea ikp o"iZ dh vof/k g% u-LFkk-fudk; ka dh 0; ; vko'; drkvka ,oa mudh jktLo t%kus dh {kerk ds chp vrj} bl s I Hkkfor jktLo vrjky dgk tkrk gA** व्यय आवश्यकता वह राशि होगी, जिसकी एक **u-स्था.निकाय** को एक निर्धारित स्तर की सेवायें प्रदान करने के लिये आवश्यकता होगी। राजस्व जुटाने की क्षमता को उस राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे न.स्था.निकाय अपने नागरिकों पर एक निश्चित कर-भार डालते हुये जुटा सकती है और साथ ही नागरिकों को कतिपय सेवाओं के प्रदाय के बदले में पर्याप्त उपभोक्ता मूल्य वसूल कर सकती है।

13.2.3 राजस्व अंतराल के प्रमुख कारण होते हैं – राजस्व व्यय एवं स्वयं की राजस्व प्राप्तियों में समानता की कमी अथवा अधिक व्यय उत्तरदायित्व एवं कम राजस्व जुटाने के अधिकार तथा स्थानीय निकायों के कमजोर आर्थिक आधार से उत्पन्न राजकोषीय बाधायें। सभी न.स्था.निकायों के कर अधिकार समान रहते हुये भी अनेक ऐसे अन्य कारण हो सकते हैं, जो स्थानीय निकायों के राजस्व अंतराल को जन्म देते हैं, जैसे – विभिन्न न.स्था.निकायों में सेवा प्रदाय की इकाई लागतों में अंतर, भू-रचना, जनसंख्या घनत्व एवं नगरों के भौतिक स्वरूपों में अंतर न.स्था.निकायों की सीमित स्वायतत्ता, स्वयं के राजस्व जुटाने के प्रयासों में कमी तथा साधनों के अकुशल नियोजन एवं प्रबंधन के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि।

13-24 **ftl izkj jktLo vrjky dk de vFkok 'kH; gksuk vko'; d : i l s fdl h LFkkuh; fudk; ds cgrj n{krk Lrj dk l dsrd ugha gkrkj} bl h izkj vf/kd jktLo vrjky dk vFkZ Hkh vko'; d : i l s mudh xfrfof/k; ka ds fu"iknu ea vddkyrk ugha gksxhA** शून्य राजस्व अंतराल एक

दुष्क्र का द्योतक भी हो सकता है, जिसमें सेवाओं की घटिया गुणवत्ता के कारण राजस्व एवं व्यय का निम्न स्तर उत्पन्न हो तथा जो पुनः सेवाओं की घटिया गुणवत्ता का कारण बने। *ge jktLo ,oa 0; ; ds chp fupys Lrj ds l rgyu ds LFkk ij mPp Lrj ds l rgyu dk l eFlu djx*

### 13.3.0 नगरीय स्थानीय निकायों का वास्तविक राजस्व अंतराल (2001-02 से 2003-04) :

13.3.1 *l Hkkfor vFkok vkn'kd jktLo vrjky* का आकलन करने के लिये, *iFker% jkT; dh u-LFkk-fudk; ka ds okLrfod jktLo vrjky dks Kkr djuk vko'; d g\$* जिससे दोनों स्थितियों वास्तविक एवं संभावित राजस्व अंतराल की तुलना की जा सके। *l kj.kh Ø- 13-1* में यह *vrjky iLrq fd; k x; k g\$*

13.3.2 सारणी स्पष्ट करती है, कि *uxj ikfyd fuxe* अपने *jktLo 0; ;* के केवल 27.71% भाग का वित्त पोषण अपने *Lo; a ds l k/kuk* से कर सके, यही प्रतिशत *uxj ikfyd ikf'lnka* के लिये 41.63% तथा *uxj ipk; rka* के लिये 30.36% था। इस संबंध में *uxj ikfyd fuxe* का निष्पादन सर्वाधिक असंतोषजनक है। बढ़ते हुये राजस्व व्यय की पूर्ति राज्य एवं केन्द्र सरकार के हस्तांतरणों से की जाती है। *l Hkh idkj ds u-LFkk-fudk; ka dk ok'kd vk\$ r vrjky : i; s 142-90 djM+ g\$ ftl ds vk/kkj ij l awkz jkT; ds fy; s; g : i; s 163-40 djM+ vuqfur g\$ l fefyr : i l s n[kus ij jkT; ds u-LFkk-fudk; vius jktLo 0; ; ds dpy 29-70% Hkkx dh i r z viuh Lo; a dh jktLo i r ; ka l s dj l d\$ geus jkT; ds l Hkh u-LFkk-fudk; ka ds fy; s vuqku U; kn'kz u-LFkk-fudk; ka dh i r tkudkj ds vk/kkj ij l r /kr oxz ea mudh tul \$; k ds vuqkr ea vkdfyr fd; \$*

### 13.4.0 नगरीय स्थानीय निकायों का संभावित अथवा आदर्शक राजस्व अंतराल :

13.4.1 वास्तविक राजस्व अंतराल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, आदर्शक आधार पर संभावित राजस्व अंतराल का आकलन। *okLrfod jktLo vrjky* के आकलन की सीमित प्रासंगिकता है, क्योंकि यह स्थानीय निकायों के *jktLo t[kus ,oa 0; ;* में कमी

करने के प्रयासों को शिथिल करेगा। इस प्रणाली के अंतर्गत जिस **u-LFkk-fudk;** का **ifr0; fDr 0; ;** अधिकतम एवं **ifr0; fDr Lo; a dk jktLo** न्यूनतम होगा उसे संभवतः राज्य से सर्वाधिक हस्तांतरण अंश प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यह अंतराल न.स्था.निकायों की करदेय क्षमता एवं व्यय आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं करता। **vr, o jk-fo-vk dks vius jkt dks kh; i d st dks r\$ kj djus ds fy; s l k k for jktLo vrjky dk vkdyu vko'; d g**

13.4.2 **l k k for jktLo vrjky ds vkdyu ds vll; kl ds fy; s 0; ; , oajktLo ds**

**ekudhdj.k dh vko; drk gkxh**, जिससे विभिन्न **u-LFkk-fudk; k** के अंतराल अनुमानों की तुलनात्मकता सुनिश्चित की जा सके। न.स्था.निकायों की व्यय आवश्यकताओं एवं उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता के माप के लिये हमारे पास कुछ प्रतिमान एवं मानक होना आवश्यक हैं। ये प्रतिमान एवं मानक सेवाओं के प्रदाय में कमी एवं स्वयं के राजस्व के विभिन्न स्रोतों की जांच का भी आधार होंगे। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की आर्थिक गतिविधियों एवं उनके स्तरों में भारी भिन्नताओं तथा किसी दिये गये स्तर पर न.स्था.निकायों के साधन जुटाने एवं सेवायें प्रदान करने की क्षमता में अंतरों के कारण यह एक जटिल अभ्यास है।

13.4.3 अनेक समितियों एवं विशेषज्ञ समूहों से विभिन्न नगरीय सेवाओं के लिये कतिपय भौतिक प्रतिमान प्राप्त करने के लिये **ifr&0; fDr 0; ;** के स्तर सुझाये हैं। इन प्रतिमानों एवं मानदण्डों में से अधिकांश राष्ट्रीय स्तर के लिये सुझाये गये हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ जैसे कम विकसित राज्यों, जहाँ नगरीय सेवाओं का वर्तमान स्तर काफी नीचा है, के संदर्भ में कम करना होगा। अतएव हमें ऐसे प्रतिमान एवं मानक चुनने होंगे, जिन्हें हमारे राज्य के द्वारा क्रियान्वित किया जा सके।

**13.5.0 संभावित अंतराल के आकलन हेतु अपनायी गयी कार्यविधि :**

13.5.1 विषय क्षेत्र एवं कार्यविधि संबंधी पूर्व अध्याय में, हमने पहले ही उस कार्यविधि की मोटी रूपरेखा का संकेत दिया है, जिसे हम **vk n' k Red vk/kj ij l k k for jktLo vrjky** के आकलन के लिये उपयोग में लायेंगे। अब हम विस्तार से कार्यविधि की चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रतिमानों एवं मानकों के आधार पर राजस्व अंतराल के आकलन

हेतु अनेक कार्यविधियाँ सुझाई गयी हैं, परन्तु अपनायी जाने वाली कार्यविधि के लिये आवश्यक है, कि वह सरल एवं क्रियान्वित की जा सकने योग्य हो तथा जिसके लिये विश्वसनीय एवं पर्याप्त आँकड़ें उपलब्ध हों।

13.5.2 *xii* *foRr vk; ks* ने अपने प्रतिवेदन में एक कार्यविधि बताई है। आयोग की अनुशंसा है, कि *jk-fo-vk; kska* को *jktLo ,oa 0; ; ds eW; kadu grq vkn'kkred nFVdksk* अपनाना चाहिये। साथ ही राजस्व जुटाने के प्रतिव्यक्ति प्रतिमानों के लिये उन्हें *dj vk/kkj ,oa xj&dj jktLo* जुटाने की संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिये, जो उचित उत्प्लावकता तथा अतिरिक्त साधन जुटाने की संभावनाओं की मान्यता पर आधारित हो। *ifr 0; fDr 0; ; ds ifreku dN l okd"V fu"iknu okys u-LFkk-fudk; ka ds vkj r 0; ; ij vk/kfjr gksus pkfg; A bl h idkj l kfor jktLo ds vkdyu ds fy; s rhu l cl s vPNs u-LFkk-fudk; ka ds fu"iknu dks /; ku ea j [kuk pkfg; A ek/s rkj ij geus xii foRr vk; ks }kjk l q;k; h x; h dk; fof/k dks vi uk; k gSA*

13.5.3 *fofkklu oxkz ds u-LFkk-fudk; ka dh jktLo l kkouk ,oa 0; ; vko'; drkvka dks Kkr djus ds fy; j geus iR; xl oxz ds l okd"V rhu u-LFkk-fudk; ka ds vkj r ifr0; fDr Lo; a ds jktLo ,oa ifr0; fDr jktLo 0; ; dks ml oxz ds l kkh u-LFkk-fudk; ka ds fy; s ifreku Lohdkj fd; k gA* यह वह स्तर है, जहाँ तक उस वर्ग के सभी *u-LFkk-fudk; ka* को अपने प्रतिव्यक्ति राजस्व एवं व्यय को उठाना होगा। इससे हमें राज्य की विभिन्न वर्गों की *u-LFkk-fudk; ka* के संभावित प्रतिव्यक्ति राजस्व एवं प्रति व्यक्ति व्यय आवश्यकताओं का सामान्य माप उपलब्ध होगा। निहित विचार यह है, कि जब कुछ नगरीय निकाय राजस्व एवं व्यय के किसी उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं तो फिर उसी वर्ग को अन्य नगरीय निकाय क्यों नहीं पहुँच सकते। *dk; fof/k fuEu ekW; rkvka ij vk/kfjr gA %*

(i) प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत न.स्था.निकायों के राजस्व आधार में अंतर न्यूनतम है,

- (ii) प्रत्येक वर्ग के नगरीय स्थानीय निकाय, मानक न.स्था.निकायों – जिनका **Lo; a dk ifr&0; fDr jktLo** सर्वाधिक हैं, की दरें लागू करेंगे।

राजस्व सृजन एवं राजस्व व्यय के प्रतिव्यक्ति प्रतिमानों में, **jktLo of) , oa 0; ;** वृद्धि के **fi Nys rhu o"kk dh vk r njka** को ध्यान में रखा गया है। संभव है, अपनायी गयी कार्यविधि की कुछ सीमायें हों तथा वह सभी दृष्टियों से पूर्ण न हो, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह सर्वाधिक व्यवहारिक है। यह **xiiia fo-vk** के सुझावों पर आधारित है।

### 13.6.0 नगरीय स्थानीय निकायों के संभावित राजस्व अंतराल का आदर्शात्मक आकलन :

13.6.1 **I kj.kh Ø- 13-2** में **jkt; ds fo fkk dh u-LFkk-fudk; ka ds I fkkfor jktLo vrjky ds vupek fn; s x; s g**

13.6.2 **I kj.kh Ø- 13-2 , oa 13-3** स्पष्ट करती है, कि **I fkkfor jktLo vrjky** बढ़ रहा है, जिसका आंशिक कारण है, **jktLo 0; ; ea of)]** जो **vf/kdk/kd ek=k** में राज्य एवं केन्द्र के हस्तांतरणों से वित्त पोषित हो रही है तथा **Lo; a ds jktLo dh de of) njA uxj ikfydk ifj"knka ds jktLo vrjky** में काफी सुधार होगा, क्योंकि **u-LFkk-fudk; ka** के अन्य **nkuka oxk dh ryuk** में, **jktLo 0; ;** में उनके **Lo; a dk jktLo** न केवल अधिक है, वरन् बढ़ भी रहा है। वर्ष 2005–06 से 2009–10 की अवधि में यह 66.02% से बढ़कर 66.68% हो गया, तीन वर्षों 2001–02 से 2003–04 के औसत की तुलना में यह वृद्धि और अधिक है। **uxj ipk; rka** की स्थिति में भी सुधार है, परन्तु अत्यन्त धीमा 2001–02 से 2003–04 के 30.36% से बढ़कर 2009–10 में 30.96%, **uxj ikfyd fuxeka** में 2005–06 से 2009–10 इसी अवधि में यह 57.71% से बढ़कर 30.19% होने की संभावना है, इसमें भी 2001–02 से 2003–04 की औसत स्थिति से तुलना करने पर स्थिति में सुधार दिखायी देता है। **rhuka oxk ds u-LFkk-fudk; ka dks feykdj fopkj djus ij fLFkr ea dkQh I fkkj nf"Vxkpj gkrk g& 3 o"kk ds 29-70% ds vk r I s c<ej 2009&10 ea 37-62% gkus dh I fkkouk g** इस सुधार को राजस्व

अंतराल में परिलक्षित होने में अनेक ऐसे कारणों से समय लगता है, जो **jktLo 0; ; , oa jktLo ikflr; ka** को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है, राज्य एवं केन्द्र सरकार से हस्तांतरण जो न.स्था.निकाय व्यय के बढ़ते हुये स्तर का वित्त पोषण करते हैं।

13.6.3 राज्य की **l eLr U; kn'khz u-LFkk-fudk; ka** का **dy jktLo varjky** प्रक्षेपण पूर्व की तीन वर्षों की अवधि के औसत के रूपये 142.90 करोड़ से बढ़कर 2005-06 में 174.84 करोड़ तथा 2009-10 में रूपये 378.48 करोड़ हो जायेगा, जैसा कि **l kj.kh Ø- 12-2** से ज्ञात होता है। यह सुधार **uxj ikfydk ifj'knka** के मामलें में काफी है परन्तु **uxj ikfyd fuxeKa** एवं **uxj ipk; rka** में धीमा है तथा उन्हें **dj , oa xj&dj lkr** से अतिरिक्त साधन जुटाने के गंभीर प्रयास करने होंगे। **jktLo varjkyka** में वृद्धि **jktLo 0; ;** में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप हो रही है, जो **u-LFkk-fudk; ka** के बढ़ती हुई हस्तांतरण राशियों के कारण है, विशेषतय: **pxh , oa ; k=h dj** जैसे करों को समाप्त करने के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतान तथा **l ksa x; sjktLo** के फलस्वरूप ।

### 13.7.0 समग्र नगरीय स्थानीय निकायों का राजस्व अंतराल :

13.7.1 ऊपर वर्णित **l kfor jktLo varjky** का आकलन **U; kn'khz u-LFkk-fudk; ka** के द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर किया गया है। जब हम इन आँकड़ों के आधार पर राज्य के सभी **u-LFkk-fudk; ka ds fy; s l exz grq i'ksi .k djrs g' rks geal kj.kh Ø- 13-4 ea iLr' tkudkjh feyrh gSA**

**l kkh u-LFkk-fudk; ka ds fy; s i'ksir jktLo varjky ds 2005&06 ds : i; s 210-78 djkm+ l s c<dj 2009&10 ea : i; s 451-02 djkm+ gkus dh l kkouk gA** इस **jktLo varjky** में इसी अवधि में सर्वाधिक वृद्धि **uxj ikfyd fuxeKa** में रूपये 139.69 करोड़ से रूपये 307.82 करोड़ तथा उसके बाद के क्रम में, **uxj ikfydk ifj'knka** में रूपये 30.30 करोड़ से रूपये 60.



57 करोड़ तथा **uxj ipk; rka** में रुपये 40.79 करोड़ से रुपये 82.64 करोड़ होने की संभावना है।

### 13.8.0 राजस्व अंतराल के आकलन हेतु एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण :

13.8.1 उपर्युक्त खण्ड में हमने राजस्व अंतराल का आकलन आम तौर पर इस हेतु अपनायी जाने वाली विधि से किया। **bl h fof/k dk l qko xioa foRr vk; ks us rFkk jk'Vh; foRr , oa ulfr l LFkkj ubz fnYyh us fn; k gS rFkk vf/kdldk jkfo-vk; kska us bl s viuk; k g** हम इस विधि का, जिसमें **jktLo vrjky** को **u-LFkk-fudk;** के **jktLo 0;** ; का उसकी **Lo; a dh jktLo ikflr; ka** पर **vkf/kD;** माना गया है, विरोध नहीं करते। राजस्व अंतराल की यह एक उपयुक्त परिकल्पना है तथा उसे सार्वजनिक राजस्व के सिद्धांत एवं व्यवहार में स्वीकार किया गया है। हमने भी **okLrfod , oa l kkkfor** दोनों प्रकार के **jktLo vrjky** के आकलन में इसका उपयोग किया है, **ijUrq bl jkT; ds l nkkz ea gel , d ifjorU ifjorU dk l qko nus dk l kgl djuk pkgxj** जो राजस्व अंतराल की परिकल्पना के बारे में न होकर उस तरीके के बारे में है, जिससे स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का माप किया जाता है। **jktLo vrjky bl , d rf; ds dkj.k cgq vf/kd irhr gkrk g** कि कर राजस्व का एक बड़ा भाग जो न्यायोचित रूप से स्थानीय निकायों का है तथा जो पूर्व में जब ये कर उनके द्वारा अधिरोपित एवं वसूले जाते थे, उनके स्वयं के कर राजस्व का अंग होता था, अब **u-LFkk-fudk; ka** का स्वयं का राजस्व नहीं माना जाता, क्योंकि **dfri; djka dh l ekflr** के बाद इनके अधिरोपण एवं वसूली के अधिकार राज्य सरकार द्वारा ले लिये गये हैं तथा इनसे प्राप्त राजस्व, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंग हो गये हैं। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित इनका राजस्व वसूली व्यय काटने के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में **u-LFkk-fudk; ka** को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार जो न्यायोचित रूप से **u-LFkk-fudk; ka** का है तथा जो उनके स्वयं के राजस्व का अंग होना चाहिये था, अब राज्य सरकार के हस्तांतरणों का अंग हो गया है, जिसका उपयोग राजस्व व्ययों की पूर्ति के लिये किया जा रहा है, जो **u-LFkk-fudk; ka** के राजस्व अंतराल में वृद्धि करता है। इन करों से संबंधित राजस्व जो राज्य सरकार द्वारा **u-LFkk-fudk; ka** को **l k k x; k jktLo dgykrk g okLro**

*ea ml jktLo dh ifri frz gh g\$ tks u-LFkk-fudk; ka dks gh feyrkj ; fn os gh bu djka dks yxkrh , oa ol ny djrha*

- 13.8.2 राजस्व अंतराल की परिकल्पना को यथावत रखने हुये, ; *fn bu djka l s i klr jktLo dks LFkkuh; fudk; ka ds Lo; a ds dj jktLo ea 'kkfey fd; k tk; j rks muds jktLo varjky dkQh de gks tk; xA* यह मात्र लेखा प्रणाली का अंतर है। परिवर्तन के इस सुझाव का उद्देश्य *u-LFkk-fudk;* वित्त एवं उनके राजस्व अंतराल, जो *jk-fo-vk-* द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज का आधार होता है, की अधिक वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करना। *geus l qk; s x; s ifjorL dk fofHku oxkZ ds u-LFkk-fudk; ka ds jktLo varjky ij iMus okys iHko dk ix.ku fd; k* है, जो *l kj .kh dz 13-5* में प्रस्तुत है।

यद्यपि यह चर्चा केवल एक शैक्षणिक अभ्यास है, परन्तु इसे एक वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

#### 13.9.0 नगरीय स्थानीय निकायों के लिये राजकोषीय पैकेज :

- 13.9.1 राज्य के न.स्था.निकायों के लिये *jkt dks kh; i d st dk fu/kkZ .k 74oa l fo/kku l dks ku ds vuqNn 243 (y) vf/kfu; e]1992 ea l ekfgr vf/kns'k dk ied[k vk k gA* संशोधन ने न.स्था.निकाय के कार्यों के दायरों में, उनके लम्बे समय से अब तक चले आ रहे कार्यों की तुलना में काफी वृद्धि की है तथा इनमें अनेक ऐसे कार्य हैं, जिनके लाभ न.स्था.निकाय सीमाओं के बाहर तक फैले हुये हैं। संविधान ने न.स्था. निकायों के लिये कोई पृथक कर सूची का प्रावधान नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप वे राज्य सरकार द्वारा उन्हें किये गये करों के आबंटन पर निर्भर बने हुये हैं। न.स्था. निकाय प्रशासन को करों की दरें तय करने की छूट एवं स्वायतत्ता नहीं है। नगरीय सेवाओं के सेवा का मूल्य एवं उसके प्रदाय की लागत से कोई संबंध नहीं है। लोगों के नजदीक होने के कारण स्थानीय निकाय अच्छे कर संग्राहक नहीं हो पाते। उनकी कर दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण नहीं होता। करों के बकाया बढ़ते रहते हैं तथा इसका कारण या तो अकुशलता होती है या कर निर्धारण में देरी। इन सभी कारणों से

उनका स्वयं का राजस्व उनके राजस्व व्यय से कम रह जाता है। यही कारण है, कि प्रत्येक संघ में सरकार के उच्च स्तर से राशियों का हस्तांतरण आवश्यक हो जाता है।

13.9.2 संघीय व्यवस्था में हस्तांतरण न्यायोचित होते हैं। स्थानीय निकायों को हस्तांतरणों के औचित्य के बारे में हम एक पूर्व अध्याय में विस्तार से लिख चुके हैं, परन्तु ये हस्तांतरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी हो सकें, इसके लिये यह आवश्यक है, कि इनका प्रदाय कुछ सिद्धांतों के अधीन किया जाय। ; s fl )kr gā % (i) i m k l u p k u {kerk} (ii) LFkk; Ro] (iii) i k j n f ' l r k j (iv) LFkk; h fu h k j r k d k s c < k o k u n r s g q } u L F k k - f u d k ; k a d k s v f r f j D r I k / k u t q / k u s d s f y ; s i k l l k f g r d j u k A

13.9.3 न.स्था.निकायों के लिये ऐसा राजकोषीय पैकेज होना चाहिये, जो व्यय उत्तरदायित्वों एवं राजस्व जुटाने की क्षमता के बीच असंतुलन तथा अपनी राजकोषीय अयोग्यताओं से उत्पन्न राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करा सके।

13.9.4 *j k t d k k h ; i d s t r s k j d j r s l e ; j k - f o - v k d k s j k T ; I j d k j d s f o R r h ; L o k L F ; d k s / ; k u e a j [ k u k g k s k j ] D ; k a d ; g h I j d k j L F k k u h ; f u d k ; k a d k s c k g j h I k r d k v f / k d k k H k k x m i y C / k d j k r h g a g e a L F k k u h ; f u d k ; k a d h j k f ' k ; k a d s m i ; k s x d h { k e r k , o a v i u s v k a r f j d I k r I s I k / k u t q / k u s d h ; k k ; r k d k s H k h / ; k u e a j [ k u k g k s k A* इस संदर्भ में हम इस तथ्य को पुनः रेखांकित करना चाहेंगे, कि राज्य के न.स्था. निकायों में राजस्व लेखें, पूँजीगत लेखे तथा संपूर्ण बजट में भी काफी अतिरेक निर्मित हो गये हैं। भले ही उनकी वित्तीय स्थिति संतोषजनक दिखती हो, परन्तु उनकी कार्यात्मक क्षमता तथा नागरिकों को पर्याप्त सेवाओं के प्रदाय के मामलों में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता। *m u d h I e L ; k ; a e k = f o R r h ; u g k s d j i z k l d h ; ] r d u h d h , o a I L F k k x r g a*

### 13.10.0 राज्य सरकार के हस्तांतरणों का वर्गीकरण :

13.10.1 राज्य बजट में, बजटीय आबंटनों तथा उनका विभिन्न मदों एवं उपमदों में असमूहीकरण (विभाजन) के लिये, पर्याप्त औचित्य संबंधी जानकारी दी जानी चाहिये। पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा हस्तांतरणों के उचित मूल्यांकन के हित में हमारी अनुशंसा है, **fd u-LFkk-fudk; ka dks jkT; I jdkj }kjk fd; s tkus okys I Hkh gLrkarj. kka dk fuEkuq kj oxhbj.k , oa iLrqr gkuh pkfg; s rFkk rnuq kj gh jkT; ds foHkkxka ea vkqMka dk I dyu fd; k tkuk pkfg; A** विभिन्न हस्तांतरणों को पृथक-पृथक माँग संख्या दी जानी चाहिये एवं –

1. राज्य के स्वयं के राजस्व के विभाजनीय कोष में रा.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार हिस्सा,
2. चुंगी, यात्रीकर एवं अन्य करों के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में सौंपा गया राजस्व,
3. स्थानीय निकायों में आबंटन के लिये राज्य करों पर अधिभार,
4. (अ) रा.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार सहायता अनुदान,  
(ब) राज्य सरकार से सामान्य उद्देशीय एवं विशिष्ट सहायता अनुदान,
5. राज्य नियोजन मंडल की अनुशंसा पर आयोजना अनुदान,
6. के.वि.आ. की अनुशंसा अनुसार केन्द्र सरकार से अनुदान,
7. अन्य हस्तांतरण एवं
8. कुल हस्तांतरण।

**I kks x; s jktLo , oa I gk; rk vuqku dks orëku dh Hkkr , d I kfk ugha feykuk pkfg; A**

**13.11.0 विभागीय कोष का आकार एवं उसकी संरचना :**

13.11.1 **foHkkтуh; dkskj jkT; ds jktLo dk og Hkx gkrk g\$ ftl ea LFkkuh; fudk; ka dh fgLI nkjh gkrh gA** प्रथम प्रश्न जो उठता है, वह है, कि **foHkkтуh; dksk dk vkdkj** क्या हो ? उसमें **jkT; I jdkj dk døy dj jktLo** हो अथवा **dj , oa xj&dj nkukajktLo** शामिल हों ? उसमें **I iwkdj jktLo** शामिल हो अथवा **døy dN fo'k"V djka** से प्राप्त राजस्व ? क्या हमें उसमें संपूर्ण कर राजस्व, जिसमें केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा भी हो, शामिल करना चाहिये अथवा केवल राज्य का स्वयं का कर राजस्व ? इस मामले में देश के विभिन्न रा.वि.

आयोगों के बीच मतैक्य नहीं है। भिन्न-भिन्न वित्त आयोगों ने इस विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। इससे कुछ भ्रम की स्थिति निर्मित हुई है। *vf/kdkk jk-fo-vk; kska us doy jkT; I jdkj ds dj jktLo dh LFkkuh; fudk; ka ds I kfk fgLI nkjh dh vuqal k dh gS* कुछ ने वृहद दृष्टिकोण अपनाते हुये राज्य सरकार के कर एवं गैर-कर दोनों राजस्वों में हिस्सेदारी सुझायी तथा कुछ ने राज्य के समस्त राजस्व में हिस्सेदारी का सुझाव दिया है। इस प्रकार हमारे सामने हिस्सेदारी के अनेक मॉडल हैं, जिनमें से हम चयन कर सकते हैं।

13.11.2 इस संबंध में हमें *I dskkfud iko/lku* को देखना होगा, जो निम्नानुसार है –

*^jkt; ,oa LFkkuh; fudk; ka ds chp djka 'kq'dj Qhl ftlga jkT; vf/kjkfir dj I drk gsrFkk tks jkT; }kjk yxk; s x; s gka I s iklr 'kq jkf'k; ka dk I Hkh Lrjka ds LFkkuh; fudk; ka es muds fgLI ka dk ca/okjka^*

13.11.3 *I dskkfud vi\$kk* को देखते हुये हम पाते हैं, कि *folkkтуh; dksk* में राज्य के *I a wkl dj ,oa x\$&dj jktLo* को शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। संविधान हमसे समग्र कर एवं गैर-कर राजस्व में हिस्सेदारी की अनुशंसा करने की अपेक्षा नहीं करता। वह हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, जब उसमें स्पष्ट उल्लेख हैं— *^dj] 'kq'dj Qhl ftlga jkT; vf/kjkfir dj I drk gS^\** स्पष्टतः हमें केन्द्रीय कर राजस्व में, *dsfo-vk* की अनुशंसा अनुसार, राज्य के हिस्से को इससे बाहर रखना होगा। *vr, o gea folkkтуh; dksk ea doy jkT; ds Lo; a ds 'kq dj jktLo dks gh 'kkfey djuk g\$ ftl dh x.kuk ol yyh 0; ; ?kVkus ds ckn dh tk; sha*

13.11.4 अब आयोग राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच राजस्व की हिस्सेदारी के आकार एवं उसकी संरचना संबंधी अनुशंसा करने की स्थिति में है। इसका प्रगणन पिछले वर्ष के स्वयं के कर राजस्व के आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के कर राजस्व में आर्थिक वृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर का प्रभाव सन्निहित होता है, अतः हमें वृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति दर के समायोजन के लिये किसी आधार वर्ष के कर राजस्व को लेकर उस पर आने वाले वर्षों के लिये वार्षिक वृद्धि दर की अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है।

- 13.11.5 *vk; ksx dh vuqkd k g\$ fd jkT; ds LFkkuh; fudk; ka dks ifr o"lz jkT; ds Lo; a ds dj jktLo dk , d fuf'pr ifr'kr feyuk pkfg; A dj jktLo dk ix.ku l dy Lo; a ds dkj jktLo ea l s 10% ol myh 0; ; ?kvk dj fd; k tk; A*
- 13.11.6 हमारा अगला कार्य है, हिस्से वाले राजस्व का आकार निर्धारित करना तथा अंश वितरण की प्रक्रिया तय करना। ; *g f=&Lrjh; ifØ;k gksxh & (i) foHkkuh; dksk ea LFkkuh; fudk; ka dk ifr'kr vdk r; djukj (ii) fu/kkZjr jkf'k ea i ajk-l LFkkuh , oa u-LFkkuh-fudk; ka dk i Fkd&i Fkd vdk r; djukj (iii) foHkkuh i ajk-l LFkkuh , oa u-LFkkuh-fudk; ka ea vki l ea ca/okjs ds fy; s ekun.M r; djukA*
- 13.11.7 *ifr'kr vdk l iwkl vf/kfu.kz vof/k ds fy; s ykxw jgsxA geus LFkkuh; fudk; ka ds vdk ¼ ajk-l LFkkuh rFkk u-LFkkuh-fudk; ka ds vdk½ ds fy; s , d gh fLFkj nj dh vuqkd k dh g\$* परन्तु राज्य सरकार की सकल एवं शुद्ध स्वयं के कर राजस्व की राशि का प्रगणन, प्रति वर्ष *jk-fo-vk-* द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत एक निश्चित प्रतिशत एवं मानदण्ड के आधार पर करना होगा।
- 13.11.8 विभाजनीय कोष का कितना प्रतिशत राज्य के स्थानीय निकायों को आबंटित होना चाहिये ? इस प्रतिशत के बारे में सुझाव देने के लिये हमें अनेक कारकों पर ध्यान देना होगा। ये कारक इस प्रकार हो सकते हैं – *LFkkuh; fudk; ka ds jktLo vrjky dk vdkj] i ajk-l LFkkuh , oa u-LFkkuh-fudk; ka dh Lo; a ds l k/ku t/kus dh {kerk] mudh l exz forRh; fLFkr] jkT; l jdkj dk jkt dkskh; LokLF;] jkT; vFkD; oLFkkuh dk l keku; fu"i knu rFkk LFkkuh; fudk; ka dh vko'; drk; a bu l Hkh dkj dka dks /; ku ea j [krs gq s vk; ksx vuqkd k djrk g\$ fd vf/kfu.kz vof/k ds i R; d o"lz jkT; l jdkj ds Lo; a ds 'kq) dj jktLo ea 8-287% dh fgLI nkjh LFkkuh; fudk; ka dks nh tk; A* आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय पैकेज से संपूर्ण राजस्व अंतराल की पूर्ति करना संभव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से ही राज्य सरकार तत्कालीन

*e/; insk Ijdkj* के *ifke jk-fo-vk-* की अनुशंसाओं को लागू करती रही है, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों का अंश *jkT; ds dgy dj ,oa xj&dj jktLo dk* 3.42% था। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय मध्यप्रदेश का द्वितीय *jk-fo-vk-* कार्यरत था, परन्तु उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ था। *e/; insk ds f}rh; jk-fo-vk- us LFkkuh; fudk; ka ds fy; s jkT; Ijdkj ds dgy Lo; a ds dj jktLo ds 4% vak dh vuqk k dh g\$* इस पृष्ठभूमि में तथा अन्य सभी कारकों पर विचार करते हुये, *vk; ksx vuqk k djrk g\$ fd jkT; Ijdkj ds Lo; a ds 'kq) dj jktLo ds 8-287% vak ea vf/kfu.kz vof/k 12005&06 I s 2009&10 1/2 ds iR; d o"lz LFkkuh; fudk; ka dh fgLI nkjh ekU; dh tk; A bl ds vrfjDr vk; ksx LFkkuh; fudk; ka ds fy; s I keU; mnnskh; vuqkukarFlk I ka s x; sjktLo ea of) dh Hkh vuqk k djxkA*

13.11.9 *geus Lo; a ds dj jktLo ds vk/kkj ij ftI s geus vf/kfu.kz vof/k ds fy; s iR; iR; fd; k g\$ jkT; Ijdkj ds Lo; a ds dj jktLo ea LFkkuh; fudk; ka dh fgLI nkjh dh okLrfod jkf'k; ka dk itx.ku fd; k g\$* जो I kj.kh Ø- 13-6 में प्रस्तुत की गई हैं।

13.11.10 उपर्युक्तानुसार निर्धारित राशि को राज्य के *iajk-l LFkkuh* एवं *u-LFkkuh-fudk; ka* के बीच आबंटित किया जाना है। *vk; ksx dh vuqk k g\$ fd bl jkf'k dk vkcA/u bu nksus oxkz ds LFkkuh; fudk; ka ea o"lz 2001 dh tux.kuk ds vuq kj dgy tul q; k ea xkeh.k ,oa uxjh; tul q; k ds vuqkr ea fd; k tk; A jkT; dh dgy tul q; k ea xkeh.k ,oa uxjh; tul q; k dk vuqkr Øe'k% 79-91% ,oa 20-09% FkkA bl vuqkr ds vk/kkj ij jkT; ds Lo; a ds 'kq) dj jktLo ds fu/kkZj ifr'kr vak ea iajk-l LFkkuh ,oa u-LFkkuh-fudk; ka dk vak fuEukuq kj gksx %*

<i>iajk-l LFkkuh</i> का अंश	6.628 %
<i>u-LFkkuh-fudk; ka</i> का अंश	1.659 %
<i>; ksx</i>	8.287 % <i>jkT; Ijdkj ds Lo; a ds 'kq) dj</i>

इस फार्मूला के आधार पर  $geus\ v\ f/ k\ fu. k\ z\ v\ of/ k\ ds\ i\ k\ p\ o''k\ k\ z\ ea\ l\ s\ i\ R; \ d\ ds\ fy; \} \ i\ aj\ k\ l\ \Delta\ Fk\ kv\ ka$  ,  $oa\ u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \ ka\ ds\ fy; \ s\ i\ Fk\ d\ \& \ i\ Fk\ d\ v\ \Delta\ k\ k\ k\ x\ dh\ j\ k\ f' \ k; \ ka\ dh\ i\ x. \ kuk\ dh\ g\ \$\ ft\ l\ s\ l\ k\ j. \ kh\ dz\ 13\ -\ 7\ ea\ n''k\ k\ z\ k\ x; \ k\ g\ \Delta\ ok\ L\ r\ fod\ j\ k\ f' \ k; \ k; \ i\ R; \ d\ o''k\ z\ j\ k\ T; \ l\ j\ d\ k\ j\ d\ k\ s\ fey\ us\ ok\ ys\ 'k\ q\ Lo; \ a\ ds\ dj\ j\ k\ t\ Lo\ i\ j\ fu\ l\ k\ j\ g\ k\ x\ h\ A$

13.11.11  $v\ x\ y\ h\ v\ k\ o' ; \ d\ r\ k\ i\ aj\ k\ l\ \Delta\ Fk\ kv\ ka$  ,  $oa\ u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \ ka\ ds\ ch\ p\ v\ k\ i\ l\ ea\ v\ k\ a\ / \ u\ k\ a\ dh\ g\ \Delta$  निर्धारित राशि का  $i\ aj\ k\ l\ \Delta\ Fk\ kv\ ka$  के बीच वितरण  $j\ k\ -\ fo\ -\ v\ k\ -$  द्वारा  $i\ p\ k; \ r\ h\ j\ k\ t\ l\ \Delta\ Fk\ kv\ ka$  संबंधी पृथक प्रतिवेदन में किया जायेगा।  $bl\ i\ f\ r\ on\ u\ d\ k\ l\ \Delta\ k\ d\ o\ y\ u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \ ka\ ds\ v\ \Delta\ k\ d\ k\ s\ j\ k\ T; \ dh\ fo\ f\ H\ k\ u\ u\ u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \ ka\ ds\ ch\ p\ v\ k\ a\ / \ u\ d\ j\ us\ l\ s\ g\ \Delta\ bl\ ds\ fy; \ s\ ek\ un. \ M\ dh\ v\ u\ q\ \Delta\ l\ k\ d\ j\ r\ s\ l\ e; \ v\ k; \ k\ x\ us\ r\ hu\ d\ k\ j\ d\ k\ a\ d\ k\ s\ /; \ ku\ ea\ j\ [ \ k\ k\ g\ \$ \ \&$

(i)  $v\ k\ o' ; \ d\ r\ k; \ \}$  (ii)  $j\ k\ t\ Lo\ i\ z\ k\ l\ r\ Fk\ k\ i\ k\ E; \ r\ k\ A$  (iii)

13.11.12  $x\ i\ i\ j\ k\ -\ fo\ -\ v\ k\ -\ j\ k\ T; \ dh\ fo\ f\ H\ k\ u\ u\ u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \ ka$  के बीच आबंटन हेतु  $fu\ E\ u\ f\ y\ f\ [ \ k\ r\ ek\ un. \ M\ ka\ r\ Fk\ k\ mud\ s\ l\ \Delta\ f\ / \ k\ r\ H\ k\ j\ dh\ v\ u\ q\ \Delta\ l\ k\ d\ j\ r\ k\ g\ \$ \ \&$

Ø-	ekun.M	Hk\ j\ ¼\ %\ ½
1	नगरीय निकाय जनसंख्या	80
2	नगरीय निकाय क्षेत्रफल	10
3	नगरीय निकाय गंदी बस्ती जनसंख्या	10

प्रत्येक  $u\ L\ Fk\ k\ fud\ k; \$  की  $t\ u\ l\ \Delta; \ k\ 2001$  की जनगणना अनुसार निर्धारित होगी। मौटे तौर पर जनसंख्या आवश्यकताओं का प्रतीक होती है।  $\{k\ s\ -\ Q\ y$  से आशय प्रत्येक न.स्था.निकाय का विधिक अधिकार क्षेत्र होता है। इसकी गणना राज्य के



कुल न.स्था.निकायों के क्षेत्रफल में से प्रत्येक न.स्था.निकाय के प्रतिशत क्षेत्रफल के रूप में की जा सकती है। यह भी एक दूसरा ऐसा वस्तुपरक मानदण्ड है, जो मौटे तौर पर आवश्यकताओं का प्रतीक होता है। **xnh cLrh tul 4;k** कुछ सीमा तक साम्यता का आधार हो सकती है। न.स्था.निकायों के लिये निर्धारित 10% राशि ऐसी न.स्था.निकायों को वितरित की जा सकती है, जिनकी गंदी बस्ती जनसंख्या उनकी संबंधित जनसंख्या का 10% अथवा इससे अधिक हो। अधिक नगरीय निकाय इस प्रस्ताव का लाभ ले सकें, इस उद्देश्य से 10% की इस कम सीमा का सुझाव दिया गया है। ऐसी न.स्था.निकायों में कुल राशि का आबंटन **2001 dh tux.kuk** अनुसार राज्य की कुल गंदी बस्ती जनसंख्या में उनकी प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता है। न.स्था.निकायों को उन्हें इस प्रकार आबंटित राशि का उपयोग केवल गंदी बस्तियों के सुधार के लिये करना होगा।

**13.12.0 सहायता अनुदान (सामान्य उद्देशीय) :**

13.12.1 **vk; ksx vuqk k djrk g\$ fd jkT; I jdkj Lo; a ds dj jktLo ea fgLI nkjh ds vfrfjDr] ifro"lz : i ; s 16 djkm+ dk vka/u u-LFkk-fudk; ka ds l keld; mnns'kh; vuqku ds : i ea forj.k grq djs rFkk iR; d o'kz bl jkf" k ea 1 djkm+ dh of) dh tk, A ; s l keld; mnns'kh; vuqku gkx\$ ftudk mi ; ksx uxjh; fudk; Lofood l s ijUrq viuh i kFkedrkvka ds vuq kj , oajkT; I jdkj ds vuqknu ij dj l dxa u-LFkk-fudk; ka ds chp vki l ea l gk; rk vuqku ds vka/u ds fy; s vk; ksx fufEufyf[kr ekun.M dh vuqk k djrk g\$ rFkk ; g ekun.M vf/kfu.kz; vof/k ds fy; s ykxw jgskA**

Ø-	ekun.M	Hkkj ¼% ½
1	जनसंख्या	10
2	राजस्व के लिये प्रयास	40
3	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई के सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति व्यय से दूरी	50

**13-12-2** किसी न.स्था.निकाय के **½jktLo grq iz; kl ½**के लिये 40% भार का निर्धारण पिछले वर्ष में उसके स्वयं के राजस्व (कर राजस्व+गैर-कर राजस्व) का उसके कुल राजस्व

व्यय से अनुपात से होगा। **bl ekun.M dh vuqk k u-LFkk-fudk; ka dks vi us Lo; a ds l k/ku t/kus ds fy; s iz kl djus grq ifjr djus ds mnns; l s dh xbl g** राज्य की न.स्था.निकायों के वित्त की समीक्षा करते समय हमने बताया है, कि वर्तमान में न.स्था.निकायों द्वारा स्वयं के साधन जुटाने हेतु किये जाने वाले प्रयास अपर्याप्त हैं, कतिपय मामलों में तो अत्यन्त कम हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी स्रोतों पर उनकी निर्भरता, विशेषतया राज्य सरकार के हस्तांतरणों पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। **bl ekun.M dks ykxw djus ds fy; s fuEufyf[kr l s dh vuqk k dh tkrh gS &**

13.12.3 **iR; d u-LFkk-fudk; dks vkcu fuEu vk/kj ij fd; k tk; sx &**

1	यदि स्वयं के राजस्व का राजस्व व्यय से अनुपात 30% से कम है	कोई अनुदान नहीं
2	यदि अनुपात 30% से 40% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 3
3	यदि अनुपात 41% से 60% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 5
4	यदि अनुपात 61% से 80% है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 7
5	यदि अनुपात 81% + है	प्रति व्यक्ति अनुदान रूपये 10

प्रत्येक **u-LFkk-fudk;** का सहायता अनुदान निर्धारण पिछले वर्ष के अनुपात के आधार पर किया जायेगा।

13.12.4 **rhl jk ekun.Mj** जिसका भार **l gk; rk vuqku** का 50% है, से आशय है, न.स्था.निकायों के **iR; d oxz ea LokLF; , oa l Qkbz ij l okf/kd ifr 0; fDr 0; ; djus okyh rhu u-LFkk-fudk; ka dk bl en ij fd; s x; s ifr&0; fDr 0; ; dk vkj rA** इसका उद्देश्य ऐसी न.स्था.निकायों को सहायता देना है, जो स्थानीय निकायों के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य पर, जिसमें जल आपूर्ति, नाली व्यवस्था, मल निकासी, कचरा निपटान, सड़कों की सफाई, अस्पताल एवं औषधालय, पार्क एवं उद्यान, छूत से फैलने वाले रोगों की रोकथाम तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम शामिल हैं, कम प्रति व्यक्ति व्यय कर रही हैं। **u-LFkk-fudk; ka** के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सफाई के

सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति व्यय से दूरी को सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। ये आँकड़े आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। आपसी आबंटन में यह मानदण्ड साम्यता की शर्त पूरी करता है। इस मानदण्ड के अंतर्गत **u-LFkk-fudk;** को आबंटित राशि का उपयोग **u-LFkk-fudk;** व्यय के इसी मद पर करना होगा।

**vc ge jkT; ds u-LFkk-fudk; ka ds fy; s jkt dks'kh; i'ldst dh l e'fdr fLFkfr iLr' dj l drs g' l kj.kh Ø- 13-8 ; g fLFkfr n'kkz; h xbz g' {kfr i'wrz , oa l k's x; s jktLo dh jkf'k; ka dk vk/kkj U; kn'khz u-LFkk-fudk; ka }kjk mi yC/k dj; s x; s vkqDMs g' ftul s l exz ds fy; s i'k's .k fd; k x; k g' jkT; l jdkj }kjk bl l c'k ea mi yC/k dj; s x; s vkqDMs ea l q' xfr ugha g'**

13.12.5 विभिन्न घटकों की राशियाँ अनुमानित हैं, जिनका आधार आयोग द्वारा किये गये राजस्व के प्रक्षेपण हैं। संभव है वास्तविक राशियाँ इससे भिन्न प्राप्त हों। **Lo; a ds dj jktLo dh okLrfod jkf'k fHkuu gks l drh g' ijUrq u-LFkk-fudk; ka ds l kfk ml dh fgLI njkh ds i'fr'kr l a'wkz vf/kfu.kz; vof/k ea ogha jg'x'** इसी प्रकार संभव है, कि क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में हस्तांतरणों की वास्तविक राशि हमारे द्वारा अनुमानित राशि से भिन्न हो। इस संबंध में **vk; ksx dfri; djka ds ,ot dh {kfr i'wrz rFkk l k's x; s jktLo ds : i ea jkT; l jdkj ds }kjk fd; s tkus okys gLrkrj.kka ea 15% okf'kd dh of) dh vuq'kd k djrk gS , oa p'xh {kfr i'wrz ea iR; d o'kz fi Nys o'kz dh jkf'k ea i'os'k dj dh of) nj ds vk/kkj ij of) dh tk; A** राजकोषीय पैकेज का संपूर्ण अभ्यास कुछ मान्यताओं पर आधारित है।

13.12.6 **jkfo-vk-dh vuq'kd kvka ij fd; s tkus okys jkT; l jdkj ds bu gLrkrj.kka l s jktLo varjky dh d'oy vaf'kd i'wrz gh gks l dsxhA 'k'sk jkf'k u-LFkk-fudk; ka dks Lo; a vi us dj , oa x'g&dj nksuka l k'arks**

*Is tdkuh gksxhA vkf'kd : i Isbl dh Hkh i frZ dsfo-vk dh vuqka k ij dshh; Ijdkj ds GLrkj.kka Is gks I dsxhA* आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से उपलब्ध साधनों के बावजूद, काफी संभावना है, कि राजस्व अंतराल का कुछ भाग फिर भी अपूरित रहे। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अभिकरणों को यह ज्ञात करने के कार्य को सुगम बनाना है, कि न.स्था.निकायों को कितनी राशि उपलब्ध करायी जाय। विभिन्न अभिकरण इस कार्य को किस प्रकार संपादित करते हैं, इस पर भी राजकोषीय विकेन्द्रीकरण की यात्रा की प्रभावशीलता निर्भर होगी। यह न.स्था.निकाय वित्त को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा।

13.12.7 *jkfo-vk* द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण *jkT; Ijdkj dh {kerk ds vñj gh gS rFkk bul s jkT; Ijdkj ij vl guh; Hkkj ugh i MxkA geus jkT; foRr dh I eh{kk djrs I e; jkT; Ijdkj dh etcir jktdkSkh; fLFkr dks /; ku ea j [krs gq s gh] bl s i {kfi r fd; k gA ge i kra g\$ fd jkT; dh foRrh; fLFkr] ml ds }kjk orëku ea fd; s tk jgs GLrkj.kka dh rgyuk ea vkj vf/kd GLrkj.kka dh vuqfr nrh gA*

13.12.8 वर्ष 2005-06 के बजट के अनुसार, ग्रामीण एवं नगरीय दोनों प्रकार के स्थानीय निकायों को सभी प्रकार के हस्तांतरणों के लिये रुपये 332.17 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध, मौद्रिक रूप में हमारी अनुशंसायें *u-LFkk-fudk; ka* के लिये रुपये 181-71 करोड़ की होती हैं। इसमें *jk-fo-vk* द्वारा अनुशंसित, *iajk-l LFkkvka* को किये जाने वाले हस्तांतरण जोड़ देने पर संभवतः, राज्य बजट में अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक होगा। *ijUrqjkT; Ijdkj ds Lo; a ds dj jktLo dh c<rh gpZ mRlykodrk dh i "Blkfe e\$ geA Hkjkd k g\$ fd dgy feykdjj xkeh.k , oa uxjh; nkuks LFkkuh; fudk; ka dks jk-fo-vk }kjk*

*vuqkfl r gLrkaj.k jkT; Ijdkj dh foRrh; {kerkvka ds varxr gh gksxk*

13.12.9 I kj.kh Ø- 13-8 में *geus vf/kfu.kz; vof/k ea jkT; ds ctV ij gLrkaj.kka ds iHkko dks ns[kus ds mnns'; I § vuqkfl r gLrkaj.kka d§ foHkku jkt dks'kh; I exta Isifr'kr iLrq fd;sg*

13.12.10 I kj.kh Ø- 13-9 स्पष्ट करती है, कि *jkT; dksk ij gekjh vuqkfl kvka dk iHkko jkT; dh foRrh; {kerk ds vwj gh gksxk* । इसके विपरीत, प्रतिशत के रूप में, यह प्रभाव, *jkT; Ijdkj ds Lo;a ds jktLo* के मामलों में, 2005–06 के 3.32% से घटकर 2009–10 में 2.78%, *Lo;a ds dj jktLo* में 4.55% से 3.64% तथा *dy jktLo iHkflr;ka* में उसी अवधि में, 2.04% से 1.68%, होने की संभावना है। *bl fxjkoV dk dkj.k v/;;u vof/k ea jkT; ds dj ,oa xj&dj jktLo ea I Hkfor mRlykodrk gks I drh g*

### 13-13-0 xnoafoRr vk;ks I s iklr vuqku dk forj.k %

13.13.1 राज्य वित्त आयोग XIIवें वित्त आयोग से राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों को 5 वर्षों के लिए प्राप्त होने वाले 88 करोड़ रुपये (17.60 करोड़ प्रतिवर्ष) का राज्य के विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के बीच आबंटन हेतु निम्नलिखित मानदण्डों तथा उनसे संबंधित भार की अनुशंसा करता है :-

Ø-	ekun.M	Hkj ¼½
1	जनसंख्या	80
2	नगरीय निकाय क्षेत्रफल	10
3	गंदी बस्ती जनसंख्या	10

सारणी क्र 13.1  
 u-LFkk-fudk; ka dk okLrfod jktLo varjky  
 1/2001&02 I s 2003&04 1/2

(हजार रु.)

Ø-	I dsrkod vkj u-LFkk-fudk;	2001-02	2002-03	2003-04	okf"kd vkj r jktLo varjky
1	2	3	4	5	6
1.	<b>uxj ikfyd fuxe</b>				
i)	राजस्व व्यय	1631152	2044917	1294821	1656963
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	400558	445084	531647	459096
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-1230594	-1599833	-763174	-1197867
2.	<b>uxj ikfydk ifj"kn-</b>				
i)	राजस्व व्यय	245733	258100	311357	271730
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	96418	102124	140896	113149
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-149305	-155976	-170461	-158581
3.	<b>uxj ipk; r</b>				
i)	राजस्व व्यय	89354	105498	117353	104068
ii)	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ	31534	31298	31983	31605
iii)	राजस्व अंतराल (ii-i)	-57820	-74200	-85370	-72463

rhu o"kkd ds fy, vkj r 1/2001&02 I s 2003&04 1/2

(करोड़ रु.)

Ø-	u-LFkk-fudk; ka dk izdkj	okLrfod jktLo varjky	I á wK jkt; ds fy; s vuøku	Lo; a ds I k/ku] jktLo 0; ; ds % ea
1.	नगर पालिक निगम	119.79	119.79	27.71

2.	नगर पालिका परिशदें	15.86	23.53	41.63
3.	नगर पंचायतें	7.25	20.08	30.36
; kx		142.90	163.40	29.70

सारणी क्र. 13.2

jkt; ds u-LFkk-fudk; ka dk I kkkfor jktLo vrjky  
½2005&06 I s 2009&10½

(करोड़ रु.)

da	I dskd , oa u-LFkk-fudk;	okLrfod jktLo vrjky&2001&02 I s 2003&04 dk vkI r			i vkI r		
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>uxj ikfyd fuxe</b>						
i.	राजस्व व्यय	165.70	239.38	278.88	324.89	378.50	440.95
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों	45.91	99.69	107.17	115.20	123.84	133.13
iii.	<b>jktLo vrjky (ii-i)</b>	<b>-119.79</b>	<b>-129.69</b>	<b>-171.71</b>	<b>-209.69</b>	<b>-254.66</b>	<b>-307.82</b>
<b>2.</b>	<b>uxj ikfydk ifj"kn-</b>						
i.	राजस्व व्यय	27.17	60.09	71.81	85.81	102.54	122.54
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों	11.31	39.67	47.53	56.93	68.21	81.71
iii.	<b>jktLo vrjky (ii-i)</b>	<b>-15.86</b>	<b>-20.42</b>	<b>-24.28</b>	<b>-28.88</b>	<b>-34.33</b>	<b>-40.83</b>
<b>3.</b>	<b>uxj i pk; r</b>						
i.	राजस्व व्यय	10.41	23.87	27.69	32.12	37.26	43.22
ii.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियों	3.16	9.14	10.05	11.06	12.17	13.38
iii.	<b>jktLo vrjky (ii-i)</b>	<b>-7.25</b>	<b>-14.73</b>	<b>-17.64</b>	<b>-21.06</b>	<b>-25.09</b>	<b>-29.84</b>
<b>4.</b>	<b>dy uxjh; LFkkh; fudk;</b>						
i.	कुल राजस्व व्यय	203.28	323.34	378.38	442.82	518.30	606.71
ii.	कुल स्वयं की राजस्व प्राप्तियों	60.38	148.50	164.75	183.20	204.22	228.23
iii.	<b>dy jktLo vrjky (ii-i)</b>	<b>-142.90</b>	<b>-174.84</b>	<b>-213.63</b>	<b>-259.62</b>	<b>-314.08</b>	<b>-378.48</b>

सारणी क्र. 13.3

u-LFkk-fudk; ka ds jktLo 0; ; I s Lo; adh jktLo ikflr; ka dk ifr'kr  
½2005&06 I s 2009&10½

dz	u-LFkk-fudk;	2001&02 I s 2003&04 dk vkI r	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	नगर पालिक निगम	27.71	41.65	38.43	35.46	32.72	30.19
2.	नगर पालिका परिषद्	41.63	66.02	66.18	66.35	66.52	66.68
3.	नगर पंचायत	30.36	38.29	36.31	34.43	32.65	30.96
	<b>I Hh oxL</b>	<b>29.70</b>	<b>45.93</b>	<b>43.54</b>	<b>41.37</b>	<b>39.40</b>	<b>37.62</b>

सारणी क्र. 13.4

**jkT; ds l eLr u-LFkk-fudk; kdk l Hkfor jktLo vrjky  
vufkfu r i fki r vk/kfjr uxj i fyd k v k dk jktLo vrjky  
½2005&06 l s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

dz	u- LFkk- fudk;	l exz u- LFkk- fudk; k i j i fki r l Hkfor jktLo vrjky ½2001&02 l s 03&04½	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर पालिक निगम	119.79	139.69	171.71	209.69	254.66	307.82
2.	नगर पालिका परिषद्	23.53	30.30	36.03	42.84	50.94	60.57
3.	नगर पंचायत	20.08	40.79	48.84	58.32	69.49	82.64
	<b>dy l Hkfor jktLo vrjky</b>	<b>163.40</b>	<b>210.78</b>	<b>256.58</b>	<b>310.85</b>	<b>375.09</b>	<b>451.02</b>

सारणी क्र. 13.5

**nks nf' Vdks kka i j vk/kfjr uxj i fyd k v k dk jktLo vrjky  
½2005&06 l s 2009&10½**

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj .k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रथम दृष्टिकोण के	210.78	256.58	310.85	375.09	451.02



	आधार पर					
2	वैकल्पिक दृष्टिकोण के आधार पर	137.74	174.89	220.56	276.55	345.04
3	राजस्व अंतराल की मात्रा में कमी	73.04	81.69	90.29	98.54	105.98

सारणी क्र. 13.6

राज्य सरकार का स्वयं का कर राजस्व  
वसूली व्यय (10%)  
शुद्ध राशि  
8-287% LFKuh;  
fudk; ka ea vka/u  
grq

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj.k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य सरकार का स्वयं का कर राजस्व	3994.79	4956.29	6161.76	7673.72	9571.23
2	वसूली व्यय (10%)	399.48	495.63	616.18	767.37	957.12
3	शुद्ध राशि	3595.31	4460.66	5545.58	6906.35	8614.11
4	'k) dj jktLo dk 8-287% LFKuh; fudk; ka ea vka/u grq	297.94	369.65	459.56	572.33	713.85

सारणी क्र. 13.7

राज्य सरकार का स्वयं का कर राजस्व  
वसूली व्यय (10%)  
शुद्ध राशि  
8-287% LFKuh;  
fudk; ka ea vka/u  
grq

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj.k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	पं.रा.संस्थाओं का अंश	238.29	295.65	367.56	457.75	570.94
2.	न.स्था.निकायों का अंश	59.65	74.00	92.00	114.58	142.91
3.	कुल राशि	297.94	369.65	459.56	572.33	713.85

सारणी क्र. 13.8

राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व में न.स्था.निकायों के हिस्से का विभाजनीय कोष  
2005-06 से 2009-10

(करोड़ रु.)

Ø-	fooj.k	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व में न.स्था.निकायों के हिस्से का विभाजनीय कोष	59.65	74.00	92.00	114.58	142.91
2	राज्य सरकार से कतिपय करों की क्षतिपूर्ति एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में हस्तांतरण	106.06	121.97	140.26	161.30	185.50
3	सामान्य उद्देशीय सहायता अनुदान	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
	<b>; कुल</b>	<b>181.71</b>	<b>212.97</b>	<b>250.27</b>	<b>292.88</b>	<b>348.41</b>

सारणी क्र. 13.9

राज्य के शुद्ध स्वयं के कर राजस्व में न.स्था.निकायों के हिस्से का विभाजनीय कोष  
2005-06 से 2009-10

Ø-	l dskd	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7
1.	रा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण (करोड़ रु.)	181.71	212.97	250.27	292.88	348.41
2.	मद 1, राज्य सरकार के स्वयं के प्रक्षेपित राजस्व के % में	3.32	3.17	3.03	2.90	2.78

